कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

E mail:- Bhilai-Nagar-Nigam@gov.in

क्र./GENS/37793/2026-STENO SEC भिलाई, दिनांक 22/05/2026

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/320/7136/2010/18 नया रायपुर दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति/परिवारों की पहचान करने, जिनकी जाति तथा मूल निवास के संबंध में लोक/निजी दस्तावेजो में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है, ऐसे व्यक्तियों की जाति के संबंध में उदघोषणा हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत राज्य शासन के दिशा–निर्देश अनुसार ऐसे परिवारों की पहचान करने जाति एवं मूल निवास की उदघोषणा हेतु सामान्य सभा की बैठक दिनांक 16.08.2023 में प्रस्ताव क्रमांक 05 (ड)05 नियमानुसार संकल्प पारित किया गया है, जिसके अनुसार उपरोक्त संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के लिए निगम आयुक्त को सात सदस्यों की जांच समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 49 दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से उपायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार बंजारे की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा समुचित जांच एवं सर्व संबंधितों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने उपरांत दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे महापौर परिषद की बैठक दिनांक 27.05.2025 में विचारार्थ रखे जाने पर सलाहकार समिति के माध्यम से आगामी महापौर परिषद की बैठक में रखे जाने का सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया है।

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 27.05.2025 में पारित उपरोक्त संकल्प के परिपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु नस्ती श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 एवं तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया था किन्तु श्री नवीन कुमार साहू द्वारा लापरवाही करते हुए उपरोक्त प्रकरण में समुचित कार्यवाही नहीं किया गया, उक्त लापरवाही पर श्री साहू के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.05.2026 को जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में श्री नवीन कुमार साहू द्वारा दिनांक 14.05.2026 को जवाब प्रस्तुत किया गया है कि "जाति एवं मूल निवास की आवेदन प्राप्ति से लेकर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन सभी जोन कार्यालयों से प्राप्त किया गया एवं आवेदनों को संधारित कर सामान्य सभा में रखा गया था। सामान्य सभा के संकल्प अनुसार 07 सदस्यों की जांच समिति गठित कर आवेदनों का परीक्षण किया गया एवं महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। सलाहकार समिति की बैठक 03 बार रखा गया था, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, सामान्य चर्चा किया गया था। जिसके कारण आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकी। सलाहकार समिति की बैठक हेतु लगातार संपर्क किया गया, किन्तु बैठक नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।"

श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जवाब समाधानप्रद नहीं पाया गया है, यदि सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो श्री साहू को उक्त विषय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके संज्ञान में लाना था या महापौर परिषद में विचारार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही उनके द्वारा किया जाना चाहिए था, श्री साहू द्वारा सलाहकार समिति

की बैठक 03 बार होना अपने जवाब में लेख किया गया है किन्तु सलाहकार समिति की बैठको के कार्यवाही विवरण कभी भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 द्वारा उन्हे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता की गई है तथा सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिससे राज्य शासन द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 11.01.2018 अनुसार पात्र आवेदकगण को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न हुआ है।

अतः श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 द्वारा की गई उपरोक्त लापरवाही एवं अनुशासनहीनता प्रथमदृष्टया क्षमा करने योग्य नहीं प्रतीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन कार्यवाही करते हुए श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री साहू का जोन–4 कार्यालय रहेगा, प्रतिदिन जोन–4 कार्यालय में उपस्थिति देने पर निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

Digitally signed by
RAJEEV KUMAR PANDEY
Date: 22-05-2026
21:47:02 आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./GENS/37793/2026-STENO SEC भिलाई, दिनांक 22/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. निगम सचिव, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
6. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
13. श्री नवीन कुमार साहू, सहायक ग्रेड–2 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई